FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0060 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 20/04/2024 12:59 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** गुरूवार **Date From (दिनांक से):** 18/04/2024 **Date To (दिनांक तक):** 18/04/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:00 बजे **Time To (समय तक):** 16:20 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 20/04/2024 **Time (समय):** 11:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 20/04/2024 12:59:17 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 8.5 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** OFFICE POLICE STATION, SANGANER JAIPUR EAST

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SUNIL KUMAR CHANDEL

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** DHNNA LAL CHANDEL

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 08/08/2000 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GRAM PANSRAOTIYA, PEEPLU, TONK, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAM PANSRAOTIYA, PEEPLU, TONK, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-9783632574

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAJARAM JAT		पिता:RAMKARAN	1. GRAM NAYA NIMBAODIYA,CHAKSU,JAIPUR CITY

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

प्रकरण के हालात इस प्रकार से निवेदन है कि दिनांक 18.04.2024 को परिवादी सुनिल कुमार चन्देल पुत्र श्री धन्ना लाल चन्देल जाती खटीक निवासी ग्राम पांसरोटिया तहसील पीपलू जिला टोंक ने एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। विषय- रिश्वत मांगने के खिलाफ कारवाई हेतु महोदय, निवेदन है कि मैं सुनिल कुमार चन्देल पुत्र श्री धन्ना लाल चन्देल जाती खटीक निवासी ग्राम पांसरोटिया तहसील पीपलू जिला टोंक वर्तमान में मैं जयपुर में कॉचिंग करता हूं। दिनांक 10.04.2024 को शाम 07.30 पीएम पर मैं हल्दीघाटी नाले पर खडा था जहां पर सांगानेर थाने की 112 की गाडी आई और मेरी मोटरसाईकिल नम्बर RJ-26-SU-3748 को जब्त कर थाने ले गये। जिसके बाद मैं मेरी मोटरसाईकिल को छुडाने थाने पर गया तो वहां पर श्री राजाराम जी मिले जिन्होने कहा की मोटरसाईकिल कोर्ट से छुटेगी, उसके बाद मै दिनांक 16.04.2024 को कोर्ट से मेरी मोटरसाईकिल नम्बर RJ-26-SU-3748 को रिलिज के लिए आदेश लिये और उसके बाद दिनांक 17.04.2024 को मैं थाने पर गया और श्री राजाराम जी को गाडी रिलिज करने के आर्डर दिये तो उन्होने मेरे से रेवेन्यू टिकट लेकर थाने के एक रजिस्टर में चिपका कर उस पर मेरे हस्ताक्षर करवा लिये और कहा की पैनकार्ड की काफी दो जिस पर मैने पैनकार्ड की कापी पर मेरे हस्ताक्षर करके उनको दी उसके बाद मैने मेरी बाईक मांगी तो श्री राजाराम जी ने गाडी देने से मना करते हुए कहा की आपको दो हजार रूपये देने पडेंगें तब आपकी मोटरसाईकिल छुटेगी तो मैने कहा की सर मेरे पास इतने पैसे नहीं है तो उन्होने कहा की दो हजार रूपये लेकर आयेगा तब गाडी ले जाना उसके बाद मैं थाने से आ गया। मै श्री राजाराम को रिश्वत के दो हजार रूपये नहीं देना चाहता। मै श्री राजाराम को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं। श्री राजाराम सांगानेर थाने पर सिपाई लगा हुआ है। कृप्या कारवाई करने की कृपा करे। प्रार्थी एसडी/- सुनिल कुमार चन्देल पुत्र श्री धन्ना लाल चन्देल निवासी पांसरोटिया तह. पीपलू जिला टोंक मो.न. 9783632474, 7740898226 दिनांक 17.04.2024 तत्पश्चात परिवादी ने दरियाफ्त पर मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मै जयपुर रहकर पढाई करता हूं दिनांक 10.04.2024 को मै हल्दीघाटी नाले के पास से जा रहा था जहां पर पुलिस थाना सांगानेर जयपुर की पुलिस वाहन 112 ने मेरी मोटरसाईकिल आरजे 26 एसयू 3748 को जब्त कर लिया, जिसका मैने कोर्ट से रिलीज आदेश दिनांक 16.04.2024 को करवाकर पुलिस थाना सांगानेर में दिनांक 17.04.2024 को प्रस्तुत किया जहां पर श्री राजाराम ने मेरे से मेरी मोटरसाईकिल को छोडने की एवंज में 2000 रूपये की मांग की, मेरी श्री राजाराम से कोई दुश्मनी नहीं है तथा न ही कोई लेन देन शेष है मै इसको रिश्वती राशि लेते हुऐ को पकडवाना चाहता हूं, तथा मैं अभी श्री राजाराम जी से मेरी गाडी छुडवाने के लिए पुलिस थाना सांगानेर जाउंगा तो श्री राजाराम जी मेरे से रिश्वत राशि मांगेगे। श्री राजाराम पुलिस थाना सांगानेर में सिपाही के रूप में कार्यरत है और जब्तशुदा वाहनों को रिलिज करने का कार्य देखते है। चूंकि परिवादी से हुई मजिद दरियाफ्त से एक लोकसेवक द्वारा रिश्वत राशि मांग करना प्रतीत होता है तथा परिवादी द्वारा बताये तथ्यों के अनुसार आज ही रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया। रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही के क्रम में श्री मनीष हैड कानि न 31 को बुलाया जाकर परिवादी से आपस में परिचय करवाया गया। परिवादी ने बताया कि मैं अब जब पुनः थाने पर जाकर राजाराम जी से मिलुंगा तब मेरे से रिश्वत राशि मांगेगे और अगर मैं उन्हे रिश्वत राशि नहीं देता हूं तो उनको मेरे बार बार बिना रिश्वत राशि के आने पर मेरे पर संदेह हो सकता है इसलिए मैं कुछ राशि लेकर जाना चाहता हूं। परिवादी द्वारा बताये गये उक्त तथ्य उचित प्रतीत होने से आंशिक रिश्वत राशि पांच सौ रूपये देकर संदिग्ध श्री राजाराम से मांग सत्यापन वार्ता हेतु भिजवाया जाने का निर्णय लिया गया। परिवादी को मांग सत्यापन वार्ता के दौरान दी जाने वाली आंशिक रिश्वत राशि पांच सौ रूपये देने के लिए कहा तो परिवादी ने एक पांच सौ रूपये का नोट प्रस्तुत किया उक्त पांच सौ रूपये के नोट का अवलोकन किया गया तो उक्त नोट पर नम्बर 0WG961891 अंकित होना पाया गया, उक्त पांच सौ रूपये के नोट की फोटोकापी की जाकर फोटो प्रति पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। उक्त पांच सौ रूपये का नोट परिवादी को अपने पास सुरक्षित रखने की हिदायत दी गई। उक्त 500 रूपये के नोट को वक्त टैप कार्यवाही के बरामद करने के प्रयास किये जायेगे। तत्पश्चात कार्यालय की अलमारी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकाला जाकर परिवादी को चालू व बंद करने की विधि समझाई गई तथा डिजिटल वाईस रिकार्ड को खाली होना सुनिश्चित कर कार्यालय से नया एक मेमोरी कार्ड SANDISK Ultra 32 GB कम्पनी का लगाया जाकर श्री मनीष कुमार हैडकानि 31 को

सुपुर्द कर हिदायत दी गई की मांग सत्यापन वार्ता हेतु जाने से पूर्व डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालु कर परिवादी को सुपुर्द करे तथा मांग सत्यापन वार्ता होने के पश्चात परिवादी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर उसको बंद कर अपने पास सुरक्षित रखे तथा वापसी पर मुझे सुपुर्द करे। तथा परिवादी को हिदायत दी गई की मांग सत्यापन वार्ता के दौरान संदिग्ध राजाराम को रिश्वत राशि देने की आवश्यकता पडने पर आपके पास सुरक्षित रखे गये 500/- रूपये के नोट को ही देवे। इसके पश्चात समय 11.50 एएम पर परिवादी सुनील कुमार व श्री मनीष हैड कानि मय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु रवाना किया। समय 01.10 पीएम पर श्री मनीष हैड कानि. नं. 31 व परिवादी श्री सुनील चंदेल मेरे पास उपस्थित आये व श्री मनीष हैड कानि ने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का डिजिटल वाइस रिकॉर्डर मय 32 जीबी मेमोरी कार्ड बंद हाल में मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द करते हुये अवगत कराया कि आपके निर्देशानुसार मै व परिवादी श्री सुनील चन्देल आज दिनांक 18.04.2024 को समय करीब 11.55 ए.एम. पर डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड रवाना होकर पुलिस थाना सांगानेर आयुक्तालय जयपुर पूर्व के पास पहुचे, जहां पर मैने परिवादी को समय 12.25 पीएम पर डिजिटल वॉईस रिर्काड मय मेमोरी कार्ड को चालू कर सुपुर्द किया और परिवादी को पुलिस थाना के अन्दर रवाना किया, तथा मै थाने के आस पास भीड भाड होने से थाने के बाहर ही कुछ दुरी पर अपनी पहचान छुपाते हुए मुकिम हुआ, कुछ समय पश्चात परिवादी वापस आया और मुझे विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया जिसको मैने बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा, तथा परिवादी ने बताया कि मेरी श्री राजाराम से वार्ता हुई है जिसमें काफी प्रयास के बाद राजाराम जी ने मेरे से 1000 रूपये में सहमत होकर मेरे पास पूर्व से सुरक्षित रखे नम्बरी 500 रूपये का नोट प्राप्त कर लिया व शेष 500 रूपये बाद में देने के लिए कहा है, और मेरी मोटरसाईकिल मुझे दे दी, श्री राजाराम मेरे से 500 सौ रूपये की रिश्वत और देने के लिए कहा है जिसके कारण वह 500 रूपये और प्राप्त करेगा। इसके पश्चात परिवादी से पुछा गया तो परिवादी ने भी श्री मनीष कुमार हैडकानि 31 द्वारा बताये हुए कथनों की ताईद की। उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को मन् पुलिस निरीक्षक ने चालू कर सरी सरी तौर पर सुना तो परिवादी द्वारा कही गई बातों की ताईद हुई तथा संदिग्ध श्री राजाराम जाट द्वारा रिश्वत मांग करने की पुष्टि होने से ट्रैप कार्यवाही का आयोजन किया जाने का निर्णय लिया गया। ट्रैप कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता होगी जिससे पूर्व में पाबंदशुदा स्वतंत्र गवाह ब्यूरो कार्यालय उपस्थित होने की मुनासिब हिदायत हुई। तत्पश्चात पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाह श्रीनाथ शर्मा पुत्र स्व. श्री गिर्राज प्रसाद शर्मा उम्र 37 साल निवासी पूंछरी का लौठा पुलिस थाना डीग जिला भरतपुर राजस्थान हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर मोबाईल नम्बर 9636686717 व श्री बाबुलाल गौरा पुत्र श्री श्योबक्स राम गौरा उम्र 58 साल निवासी ग्राम पोस्ट धानक्या पुलिस थाना बिनदायका जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर मोबाईल नम्बर 9351352861 उपस्थित आये। इसके पश्चात उक्त दोनो स्वतंत्र गवाह तथा कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री सुनील कुमार चंदेल का आपस में परिचय करवाया गया तथा ट्रैप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति चाहने पर उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान ने अपनी अपनी मौखिक सहमति प्रदान करने पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया गया तथा उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात चौकी का अधिकतर जाप्ता चुनाव ड्यूटी में होने से उच्चाधिकारियो के निर्देशानुसार जयपुर नगर द्वितीय श्री राजेन्द्र सिंह कानि न 55 व जयपुर नगर चतुर्थ से श्री सरदार सिंह कानि न 187 व श्री विशाल कनिष्ठ लिपिक को कार्यवाही में सहयोग हेतु तलब किया जाने पर उपस्थित कार्यालय आये। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री सुनील कुमार चंदेल को संदिग्ध कर्मचारी श्री राजाराम कानिस्टेबल को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहा, जिस पर परिवादी ने अपने पास से भारतीय चलन मु्रदा के 500 रूपये का 01 नोट कुल राशि 500/-रूपये निकालकर पेश किया। उक्त नोट के नम्बर मन पुलिस निरीक्षक एवं स्वतंत्र गवाहान के द्वारा चैक किये गये। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री राजेन्द्र कानिस्टेबल नम्बर 55 से कार्यालय की अलमारी से फिनोफ्थलीन पॉउडर की शीशी निकलवायी गयी तथा कार्यालय की टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त पांच सौ रूपये के 01 नोट कुल 500 रूपये को रखकर उक्त नोटो पर श्री राजेन्द्र सिंह कानिस्टेबल से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पॉउडर लगवाया गया। परिवादी श्री सुनील कुमार चंदेल की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री श्रीनाथ शर्मा से लिवायी गयी, परिवादी के पास कपडों व मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं मिलने पर परिवादी के पास मोबाईल फोन छोडा गया। इसके अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज/राशि/वस्तु नही मिली। तत्पश्चात परिवादी श्री सुनील कुमार चंदेल की पहने हुऐ पेन्ट की सामने की नीचे की बायी साईड की जेब में श्री राजेन्द्र सिंह कानि न 55 से रखवाये गये तथा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर श्री मनीष कुमार हैडकानि 31 को सुपूर्द कर हिदायत की गई कि परिवादी जब संदिग्ध आरोपी के पास जाये उससे पूर्व डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू करके परिवादी को सुपुर्द करें। उक्त कार्यवाही की पृथक से विस्तृत फर्द पेशकशी एंव सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पॉउडर एवं सोडियम कार्बोनेट तथा सुपुर्दगी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 03.55 पीएम पर परिवादी श्री सुनील कुमार चन्देल की मोटर साईकिल पर श्री मनीष हैड कानि न 31 व परिवादी श्री सुनील कुमार के रवाना किया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री राजेन्द्र हैड कानि न 51, श्री सरदार सिंह कानि न 187, श्री विशाल कनिष्ठ सहायक व स्वतंत्र गवाह श्री श्रीनाथ शर्मा व श्री बाबुलाल गौरा एंव मय लैपटॉप

प्रिन्टर मय ट्रैप बॉक्स मय अन्य सामग्री के साथ मय सरकारी वाहन चालक के एसीबी कार्यालय से पुलिस थाना सांगानेर जयपुर पूर्व जयपुर के लिए रवाना हुऐ तथा श्री हिमांशु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी इमदाद के लिए हमराह रवाना हुए। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराही के एसीबी कार्यालय से रवानाशुदा पुलिस थाना सांगानेर से कुछ दूरी पहले पहुंचकर समय 04.17 पीएम पर श्री मनीष कुमार हैडकानि द्वारा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालु कर परिवादी श्री सुनील कुमार को सुपुर्द कर संदिग्ध श्री राजाराम कानिस्टेबल को रिश्वत राशि देने के लिए रवाना किया तथा श्री मनीष हैडकानि 31 को पीछे पीछे रवाना किया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय शेष जाप्ता परिवादी के निर्धारित ईशारे के लिए अपनी अपनी पहचान छूपाते हुऐ पुलिस थाना सांगानेर जयपुर पूर्व जयपुर के आस पास मुकिम हुऐ। समय 04.25 पीएम पर परिवादी सुनील कुमार चंदेल ने मन् पुलिस निरीक्षक के पास आकर बताया कि आरोपी श्री राजाराम ने मेरे से रिश्वती राशि 500 रूपये प्राप्त कर लिये है, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को प्राप्त कर बंद कर अपने पास सुरिक्षत रखा तथा पुलिस थाना सांगानेर जयपुर पूर्व जयपुर आयुक्तालय के आस पास मुकिम एसीबी टीम व स्तवंत्र गवाहान एवं परिवादी को साथ लेकर पुलिस थाना सांगानेर जयपुर पूर्व जयपुर के अन्दर प्रवेश किये, जहां पर पुलिस थाना में प्रवेश करते ही बने मुख्य लेखक प्रशासन कार्यालय में कुर्सी पर पुलिस वर्दी में बैठे हुये व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यही श्री राजाराम कानिस्टेबल है जिन्होने मेरे से मेरी मोटरसाईकिल नम्बर आरजे 26 एसयू 3748 को कोर्ट से दिनांक 16.04.2024 को रिलीज ओदश होने पर दिनांक 17.04.2024 को पुलिस थाना सांगानेर में प्रस्तुत करने के बावजूद इनके द्वारा मेरी मोटरसाईकिल छोडने के एवंज में 2000 रूपये की मांग की गई, जिस पर मैने एसीबी में शिकायत प्रस्तुत करने पर आज दिनांक 18.04.2024 को मांग सत्यापन करने पर इनके द्वारा 1000 रूपये में सहमति देने पर 500 रूपये मांग सत्यापन के दौरान प्राप्त कर लिये व 500 रूपये अभी मालखाना के कक्ष में प्राप्त कर अपने पास रख लिये। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वयं व स्वतंत्र गवाहान व एसीबी टीम का परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री राजाराम जाट पुत्र श्री रामकरण जाट जाति जाट उम्र 39 साल निवासी गांव नया निम्बोडिया पुलिस थाना चाकसु जिला जयपुर हाल मालखाना एलसी, कास्टिेबल नम्बर 9815 पुलिस थाना सांगानेर जयपुर पूर्व आयुक्तालय जयपुर होना बताया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री राजाराम मालखाना एल सी कानिस्टेबल नम्बर 9815 को परिवादी श्री सुनील कुमार से रिश्वत राशि लेने के बारे में पूछा तो आरोपी श्री राजाराम कानिस्टेबल नम्बर 9815 ने बताया कि सुनील कुमार चंदेल की मोटरसाईकिल जब्त हुई थी, जिसका कोर्ट से रिलीज आदेश लेकर सुनील कुमार चंदेल दिनांक 17.04.2024 को थाने पर मेरे पास आया था और मूल मोचन आदेश मुझे दिया था। जिस पर मैने रेवन्यू टिकट वाहन रिलीज रजिस्टर पर चिपकाकर सुनील के हस्ताक्षर करवाये और गाडी कल ही इसको दे दी थी, मैने इनसे कोई रिश्वत राशि नहीं ली, इन्होने जबरदस्ती मेरी टेबल पर रखी दी थी, मैने सुनील से कोई रिश्वत राशि नहीं मांगी, मैने गाडी कल ही छोड दी थी, इसने मुझे खुशी से 500 रूपये आज दिनांक 18.04.2024 को सुबह दिये व 500 अभी थोडी देर पूर्व दिये है। इसके पश्चात परिवादी सुनील कुमार ने आरोपी श्री राजाराम कानिस्टेबल की बात का खंडन करते हुऐ बताया कि श्री राजाराम कानिस्टेबल झूठ बोल रहा है। मै जयपुर में रहकर पढाई कर रहा हूँ। दिनांक 10.04.2024 को शाम को 7.30 पीएम पर हल्दीघाटी नाले पर मेरी मोटरसाईकिल नम्बर आरजे 26 एसयू 3748 को सांगानेर पुलिस की 112 नम्बर वालो ने जब्त कर लिया था, जिस पर मै पुलिस थाना गया तो उन्होने कहा कि कोर्ट से आदेश करवाने पर ही मोटरसाईकिल छूटेगी। इस पर मैने दिनांक 16.04.2024 को कोर्ट से मेरी मोटरसाईकिल नम्बर आरजे 26 एसयू 3748 को रिलीज करवाने की आदेश करवाकर दिनांक 17.04.2024 को पुलिस थाना सांगानेर में पहुंचकर श्री राजाराम कानिस्टेबल को दिया था जिन्होने मेरे से मोटरसाईकिल छोडने की एवंज में 2000 रूपये की मांग की, जिस पर मैने एसीबी में शिकायत करने पर आज दिनांक 18.04.2024 को मांग सत्यापन करवाये जाने पर 1000 रूपये पर सहमत हुये, जिस पर मांग सत्यापन के दौरान 500 रूपये प्राप्त कर लिये व अपनी मांग के अनुशरण में अभी 500 रूपये की रिश्वती राशि अपने दाहिने हाथ से प्राप्त कर अपने पास रख लिये। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री राजाराम जाट कानिस्टेबल से दिनांक 18.04.2024 को परिवादी के मध्य मांग सत्यापन के दौरान व रिश्वत राशि लेन देन के दौरान हुई वार्ता जो डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, जिसको चलाकर सुनाया तो आरोपी श्री राजाराम कानिस्टेबल चुप हो गया व गर्दन नीचे करकर अपने हाथों को रगडने लगा। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री राजाराम कानिस्टेबल से रिश्वती राशि 500 रूपये के बारे में पूछा तो उसने कहा कि श्री सुनील कुमार से प्राप्त किये गये 500 रूपये मालखाना कक्ष में गेट के पीछे लगे हुऐ हैंगर पर टकी हुई पेन्ट में रखे है। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री राजाराम कानिस्टेबल को साथ लेकर मालखाना कक्ष में गये, जहां पर आरोपी श्री राजाराम कानिस्टेबल के बताये अनुसार पेन्ट को स्वतंत्र गवाह श्री बाबुलाल गौरा से उतरवाकर तलाशी लिवाई गई तो पेन्ट की दाहिने साईड की जेब में 500-500 रूपये के दो नोट मिले, जिनको दोनो स्वतंत्र गवाहान से गिनवाया तो भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 सौ रूपये के 02 नोट राशि 1000 रूपये मिले जिनको पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट से मिलान करवाया गया तो एक 500 रूपये का नोट का नम्बर 3UR425092 होकर हुबहू रिश्वत राशि होना पाई गई व दूसरा 500 रूपये का नोट नम्बर 0WG961891 मांग सत्यापन के दौरान दिया गया होना पाया गया। उक्त बरामदशुदा 500-500 रूपये के 02 नोट तथा पेन्ट को सुरक्षित स्वतंत्र गवाह बाबुलाल गौरा के पास

रखवाई गई। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री सुनील कुमार द्वारा कही गई बातों की ताईद करने के लिए परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष एक प्लास्टिक के डिस्पोजेबल पारदर्शी गिलास मे स्वच्छ पानी मंगवाकर उसमें डिस्पोजेबल चम्मच से सोडियम कार्बोनेट डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण मे आरोपी श्री राजाराम कानिस्टेबल के दांहिने हाथ की अगुंलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशियों मे आधा-आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा किया गया तथा मार्क R-1 व R-2 अंकित कर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी सुनील कुमार तथा आरोपी राजाराम कानिस्टेबल के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त विधि से ही दूसरे साफ प्लास्टिक के डिस्पोजेबल पारदर्शी गिलास मे स्वच्छ पानी मंगवाकर उसमे डिस्पोजेबल चम्मच सोडियम कार्बोनेट पॉउडर डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण में आरोपी श्री राजाराम कानिस्टेबल के बांये हाथ की अगुंलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गदमैला होना बताया। उक्त धोवन को दो कांच की साफ शीशीयों मे आधा-आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकर सील चस्पा किया गया तथा मार्क L-1 व L-2 अंकित कर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी सुनील कुमार तथा आरोपी श्री राजाराम कानिस्टेबल के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान श्री बाबुलाल गौरा के पास सुरिक्षत रखी हुई पेन्ट की आगे दाहिने साईड की जेब को धोवन लेने के लिए उक्त विधि से ही साफ नये प्लास्टिक के डिस्पोजेबल पारदर्शी गिलास मे स्वच्छ पानी मंगवाकर उसमे डिस्पोजेबल चम्मच सोडियम कार्बोनेट पॉउडर डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया, तत्पश्चात उक्त पेन्ट की आगे की दाहिनी साईड की जेब को उल्टा कर धोवन में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशियों मे आधा-आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा किया गया तथा मार्क P-1 व P-2 अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात उक्त पेन्ट के दाहिनी साईड की जेब को सुखाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सील्ड कर मार्क P अंकित किया जाकर वजह सबूत जप्त किया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वतंत्र गवाह श्री बाबुलाल गौरा सुरिक्षत रखे हुये 500-500 रूपये के दो नोट को पुनः दोनो स्वतंत्र गवाहान से गिनवाया तो भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 सौ रूपये के 02 नोट को पूर्व में बनाई गई फर्द पेषकषी एवं सुपुर्दगी नोट से पुनः मिलान करवाया गया तो एक 500 का नोट हुबहू रिश्वत राशि होना पाई गई, उक्त बरामद शुदा भारतीय चलन मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 01 नोट कुल 500 रूपये को एक सफेद कागज के साथ नत्थी किया जाकर सीलमोहर कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर नोटों को कब्जा एसीबी लिया गया व दूसरा 500 रूपये का नोट मांग सत्यापन के दौरान परिवादी ने आरोपी श्री राजाराम कानिस्टेबल को दिया था, उक्त 500 रूपये का नोट ही था, उक्त 500 रूपये के नोट की पूर्व में फोटोकॉपी कर परिवादी व श्री मनीष हैड कानिस्टेबल के हस्ताक्षर करवाकर परिवादी को दिये जो परिवादी से मांग सत्यापन के दौरान आरोपी श्री राजाराम कानिस्टेब ने प्राप्त कर लिये थे, उक्त 500 रूपये के नोट की फोटोप्रति से स्वंतत्र गवाहान से मिलान करवाने पर 500 रूपये के नोट पर अंकित नम्बर हूबहू होना पाया गया, उक्त बरामद शुदा भारतीय चलन मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 01 नोट कुल 500 रूपये को एक सफेद कागज के साथ नत्थी किया जाकर सीलमोहर कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर नोटों को कब्जा एसीबी लिया गया। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री राजाराम से परिवादी सुनील कुमार के मोटरसाईकिल नम्बर आरजे 26 एसयू 3748 के जब्ती के दस्तोवज व माननीय न्यायालय से पारित हुये आदेश व वाहन रिलीज रजिस्टर जिसमें रेवेन्यू टिकट लगाया जाता है के बारे में पूछा तो आरोपी राजाराम ने बताया कि मोटरवाहन एम वी एक्ट 207 की पत्रावली जिसमें मोचन आदेश लगे है व वाहन रिलीज रजिस्टर जिसमें रेवेन्यू टिकट लगाया जाता है, उक्त दोनो मालाखाना में रखे है। उक्त वाहन रिलीज रजिस्टर व मोचन आदेश पत्रावली आरोपी श्री राजाराम कानिस्टेबल ने प्रस्तुत किये जिनका अवलोकन करने पर पाया गया कि मूल मोचन आदेश पत्रावली में मौजूद इसके साथ सुनील कुमार के पेनकार्ड नम्बर BXLPC4065J की फोटोप्रति लगी हुई है, उक्त मूल मोचन आदेश अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रैट क्रम संख्या 13 जयपुर महानगर प्रथम सांगानेर जयपुर से दिनांक 16.04.2024 को जारी हो वाहन संख्या आरजे 26 एसयू 3748 को रिलीज/मोचन करने के आदेश है, उक्त मोचन आदेश प्रार्थी श्री सुनील कुमार चंदेल पुत्र श्री धन्नालाल चंदेल के नाम से है। वाहन रिलीज रजिस्टर वर्ष 2023 व 2024 में क्रम संख्या 38 पर वाहन संख्या आरजे 26 एसयू 3748 दिनांक 17.04.2024 व सुनील कुमार पुत्र श्री धन्नालाल अंकित है तथा रेवेन्यू टिकट पर सुनील के हस्ताक्षर हो रखे है। उक्त मूल वाहन रिलीज रजिस्टर व माननीय न्यायालय से जारी मूल मोचन आदेश एवं एम वी एक्ट का चालान की प्रति अनुसंधान में आवश्यकता होने से पत्रांक एसपीएल दिनांक 18.04.2024 थानाधिकारी पुलिस थाना सांगानेर जयपुर पूर्व जयपुर को जारी करने पर थानाधिकारी पुलिस थाना सांगानेर जयपुर पूर्व जयपुर के पत्रांक 1790 दिनांक 18.04.2024 से प्राप्त किये गये उक्त मूल वाहन रिलीज रजिस्टर की पेजिंग की गई तो पेज संख्या 01 से 104

तक भरे हुऐ है, शेष पृष्ठ खाली है। उक्त मूल वाहन रिलीज रजिस्टर व मूल मोचन आदेश, पेनकार्ड नम्बर BXLPC4065J व एम.वी. एक्ट चालान रसीद संख्या 0825395 की कार्बन प्रति पर नियमानुसार सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर जब्त कर कब्जे एसीबी लिया गया। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी से पूर्व में प्राप्त किये गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो उसमें परिवादी व आरोपी के मध्य रिश्वत लेन-देन के समय हुई वार्ता रिकार्ड होकर रिश्वत मांग एवं लेन देन की पुष्टि होना पाई गई। अब तक की कार्यवाही से श्री राजाराम जाट पुत्र श्री रामकरण जाट जाति जाट उम्र 39 साल निवासी गांव नया निम्बोडिया पुलिस थाना चाकसु जिला जयपुर हाल मालखाना एलसी, कास्टिेबल नम्बर 9815 पुलिस थाना सांगानेर जयपुर पूर्व आयुक्तालय जयपुर द्वारा लोकसेवक होते हुये अपनी पदीय स्थिति एंव कर्तव्यों का दुरूपयोग करते हुऐ परिवादी की जब्त शुदा मोटरसाईकिल नम्बर आरजे 26 एसयू 3748 को कोर्ट के रिलीज आदेश होने के बावजूद छोडने की एवज में आरोपी श्री राजाराम कानिस्टेबल द्वारा 2000 रूपये की मांग कर आज दिनांक 18.04.2024 को मांग सत्यापन के दौरान 1000 रूपये पर सहमति देकर मांग सत्यापन के दौरान 500 रूपये प्राप्त करना तथा आज दिनांक 18.04.2024 को ही लेन देने के समय अपनी मांग के अनुशरण में रिश्वती राशि 500 रूपये प्राप्त करना पाये जाने से आरोपी श्री राजाराम जाट पुत्र श्री रामकरण जाट जाति जाट उम्र 39 साल निवासी गांव नया निम्बोडिया पुलिस थाना चाकसु जिला जयपुरहाल मालखाना एलसी, कास्टिेबल नम्बर 9815 पुलिस थाना सांगानेर जयपुर पूर्व आयुक्तालय जयपुर के विरूद्व अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द मूर्तिब की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी श्री राजाराम कानिस्टेबल नम्बर 9815 को नमूना आवाज देने के लिये नोटिस दिया जाने पर आरोपी राजाराम कानिस्टेबल ने अपनी आवाज का नमूना देने से लिखित में इन्कार किया। तत्पश्चात आरोपी श्री राजाराम कानिस्टेबल नम्बर 9815 के खिलाफ जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण संशोधित अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर समय 07.00 पीएम पर जरिये फर्द पृथक से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी व स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द घटनास्थल मूर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। फर्द नमूना सील मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात रिश्वत मांग सत्यापन व रिश्वत लेनदेन वार्ताओ की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट पृथक से तैयार की गई । अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही से आरोपी श्री राजाराम पुत्र श्री रामकरण उम्र 39 साल निवासी गांव नया निम्बोडिया पुलिस थाना चाकसु जिला जयपु हाल मालखाना एलसी, कास्टिेबल नम्बर 9815 पुलिस थाना सांगानेर जयपुर पूर्व आयुक्तालय जयपुर के विरूद्व अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री राजाराम पुत्र श्री रामकरण उम्र 39 साल निवासी गांव नया निम्बोडिया पुलिस थाना चाकसु जिला जयपु हाल मालखाना एलसी, कास्टिेबल नम्बर 9815 पुलिस थाना सांगानेर जयपुर पूर्व आयुक्तालय जयपुर के विरूद्व अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन अग्रीम कार्यवाही हेतु प्रेषित है। भवदीय, (सत्यवीर) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर.....कार्यवाही पुलिस.... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री हिमांशु, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर नगर–तृतीय के माध्यम से श्री सत्यवीर, पुलिस निरीक्षक, ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री राजाराम जाट पुत्र श्री रामकरण, निवासी गांव नया निम्बोडिया, पुलिस थाना चाकसु, जिला जयपुर हाल मालखाना एलसी, कानिस्टेबल नम्बर 9815, पुलिस थाना सांगानेर आयुक्तालय जयपुर–पूर्व के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 60/2024 उपरोक्त धारा में दर्ज कर अनुसंधान अधिकारी श्री छोटीलाल मीना, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर द्वितीय, जयपुर को सुपुर्द कर नियमानुसार जारी की गई। उक्त की रोजनामचाआम रपट 261 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर। क्रमांक 286-89 दिनांक 20.04.2024 प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या–1, जयपुर। 2. पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय)जयपुर पुलिस आयुक्तालय, जयपुर । 3. उप महानिरीक्षक पुलिस–प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर। 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर–तृतीय । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Chhotee Lal Meena **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 20/04/2024 13:06:11

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 20/04/2024 13:04:01

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	11/07/1985				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)